न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 179/2017 (उदयपुर डिक्री)

दुर्गाशंकर पिता लहरीलाल जी पालीवाल ब्राहमण, निवासी ग्राम कदमाल, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. भूरीलाल पिता लहरीलाल जी पालीवाल ब्राहमण, निवासी कदमाल, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. शांतिलाल पिता हुक्मीचन्द जी महाजन, निवासी कदमाल, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
3. रमेशचन्द्र पिता हुक्मीचन्द जी महाजन (मृतक) के बजाय :–

3/1.पंकज पिता स्वर्गीय रमेशचन्द्र जी महाजन, निवासी कदमाल, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (मृतक)

4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान
का. अ. 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा
दिनांक 10.07.2017, प्र. सं. 509/13

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री पुरूषोत्तम पुरी अभिभाशक अपीलान्ट
2. श्री जी.एस. मेहता अभिभाषक रेस्पो. सं. 1
3. श्री के.एल. सिंघवी अभिभाषक रे.सं. 2, 3
4. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———:::———

निर्णय दिनांक

28–06–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट व अन्य

रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त आधिपत्य की कृषि आराजी नंबर 2913 रकबा 18 बिस्वा भूमि ग्राम कदमाल में स्थित है। मौखिक बंटवारे से तीनों खातेदार अलग–अलग काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं, किन्तु भूमियों का अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 ने बिना विधिवत विभाजन के वादी की आराजी में जाने वाले रास्ते पर पक्का निर्माण करने पर उतारू है। अतः भूमियों का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर खाते अलग–अलग अंकित किये जावे व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद वर्णित तथ्यों को अस्वीकार किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर कुल 4 तनकियात विरचित की गयी तथा प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर दिनांक 08–06–2017 को प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 10–07–2017 को अंतिम डिक्री जारी की।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 10–07–2017 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 30–10–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा जब प्रार्थी के मकान के आगे की रोस व मकान की छज्जे तोड़े जाने लगे तो अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 08–06–2017 व अंतिम डिक्री दिनांक 10–07–2017 की जानकारी हुई। अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त एवं उचित कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर पत्रावली का मनन किया तो यह पाया कि राजस्व लोक अदालत में दिनांक 08–06–2017 की आदेशिका पर स्वयं अपीलान्ट के हस्ताक्षर हैं। अतः उसका यह कथन कि उसे उक्त प्रारम्भिक डिक्री की जानकारी नहीं थी, उचित प्रकट नहीं होता है। जहां तक अंकित डिक्री दिनांक 10–07–2017 का प्रश्न है, उक्त दिनांक को अपीलान्ट को सूचित किये जाने अथवा उसके उपस्थित होने की कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। अतः प्रकरण के गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री जी. एस. मेहता उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से वकील श्री के. एल. सिंघवी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अधिवक्ता श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट द्वारा आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर उसके साथ कुछ दस्तावेजात प्रस्तुत कर उन्हें रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया गया, जिसकी नकल रेस्पोन्डेन्ट को दिलवाई गयी।

हमने प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि प्रस्तुत दस्तावेजात सत्य प्रतियां हैं, किन्तु फौजदारी प्रकरण से संबंधित होने से इस न्यायालय में इस स्टेज पर ग्राह्य योग्य नहीं हैं। अतः आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा.दी. का आवेदन सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कैम्प में केवल अपीलान्ट की उपस्थिति बाबत् हस्ताक्षर करवाये, जबकि खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत होने एवं

तनकियात गठित होने के कारण तनकीवार गुणावगुण के आधार पर वाद का निस्तारण करना चाहिए था। अतएवं अपील स्वीकार की जाकर कथित निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे तथा गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/प्रतिवादी की उपस्थिति में एवं उनकी सहमति से राजस्व लोक अदालत में निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 08–06–2017 को अपीलान्ट/ प्रतिवादी की उपस्थिति में जारी की गयी है, किन्तु जहां तक अंतिम डिक्री का प्रश्न है। प्रकरण में दिनांक 10–07–2017 को पत्रावली कैम्प कोर्ट में दिनांक 16–08–2017 को पेश होने का अंकन किया गया है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10–07–2017 को ही अंतिम डिक्री जारी कर दी गयी है, जिसकी अपीलान्ट/प्रतिवादी को सूचना दिये जाने की कोई साक्ष्य रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री प्रथम दृष्टया तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 10–07–2017 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति पषित की जाती है कि अपीलान्ट/प्रतिवादी को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर एवं उन्हें सुनकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 26–08–2019 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 28–06–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.....मुकाम..... उदयपुर.....

व इजलास ..... प्रियंका जाधावत, आर॰ए॰एस॰ ....

सुरेन्द्रसिंह पिता प्रेमसिंह राठौड़, नि0 बेमला, तह0 गिर्वा हाल मकान नं.37 नाकोड़ा नगर 11, धाऊजी की बाड़ी व अन्य बेड़वास, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर

बनाम

दलपतसिंह पिता मनोहरसिंह देवड़ा निवासी सिंगावतों का वाडा, देबारी तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर

अपील नं॰.....47 / 2018.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी..... .....गिर्वा..... मुकाम.....मुवर्खे.....18.....माह.....07..... 2016

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....13....माह.....03.....सन् 2019 रूबरू..... पक्षकारान

व हाजरी..श्री ओंकारलाल डांगी..मिनजानिब अपीलान्ट व..श्री महेन्द्र मेनारिया/राजमल राव

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–07–2016 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....13.....माह.....03... .....2019 को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील..... ..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।